उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–8
संख्या–755/दो–8–2017–33/पी.एस.एल./2002
लखनऊ : दिनांक 23 जून, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति/चयन द्वारा नियुक्त अधिकारियों हेतु लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में दिनांक 03–07–2017 से 11–08–2017 में 119वें प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग के सम्बन्ध में कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या–T.21017/2/2017.Academy desk, दिनांक 17 अप्रैल, 2017 एवं अवर सचिव, कार्मिक, लोक मंत्रालय एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 2017 के संदर्भ में नियुक्ति अनुभाग–8 के आदेश संख्या–547/दो–8–2017, दिनांक 05.06.2017 द्वारा नामित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। तद्नुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सूची में अंकित निम्न अधिकारियों को उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्त प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

क्र0	अधिकारी का नाम–बैच	क्र0	अधिकारी का नाम–बैच
1.	श्री अजय शंकर पाण्डेय–2005	10.	श्री अमरनाथ उपाध्याय –2010
2.	डॉ0 अनिल कुमार –2009	11.	डा0 अनिल कुमार सिंह– 2010
3.	श्री रवीन्द्र कुमार –2010	12.	श्री साहब सिंह–2010
4.	श्री हीरा लाल–2010	13.	श्री नगेन्द्र प्रताप –2010
5.	श्री राम यज्ञ मिश्रा –2010	14.	श्री श्रीश चन्द्र वर्मा –2010
6.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह– 2010	15.	श्री सुशील कुमार मौर्या– 2010
7.	श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव –2010	16	श्री दिव्य प्रकाश गिरि– 2010
8.	श्री फैसल आफताब –2010	17.	श्री अटल कुमार राय –2010
9.	श्री दीप चन्द्र–2010	18.	श्री नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय –2010

2– उपरोक्त अवधि में नामित अधिकारी को वित्तीय नियमावली खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–9 (6) (बी) (1) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जायेगा तथा उक्त नियमावली के नियम–20 के अधीन वही वेतन एवं मंहगाई भत्ता प्राप्त होगा, जो उन्हें प्रशिक्षण में न जाने तथा वास्तविक रूप में ड्यूटी पर होने की दशा में प्राप्त होता।

3– प्रशिक्षण के पहले अथवा बाद में नामित अधिकारी को कोई कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य नही होगा, किन्तु इनके नियुक्ति स्थान से प्रशिक्षण संस्थान तक जाने तथा प्रशिक्षण की समाप्ति पर संस्थान से नियुक्ति स्थान तक वापस आने तथा यात्राओं में लगा वास्तविक समय प्रशिक्षण का अंग माना जायेगा।

4– प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण स्थल तक जाने तथा वापसी में नियुक्ति स्थान तक आने के लिए साधारण दर से यात्रा भत्ता, जैसा कि उल्लिखित अधिकारी को वित्तीय नियमावली खण्ड–3 के प्रतिबन्धों के अनुसार ग्राह्य हो, दिया जायेगा।

5– नामित अधिकारी को प्रशिक्षण की अवधि में रुपये 3,75,000/–(रुपये तीन लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रत्येक नामित अधिकारी को अपने साथ रुपये 3,75,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट ले जाना होगा, जो "The Director, LBSNAA" payable at SBI, LBSNAA branch Mussoorie (Branch Code: 2435) के नाम देय होगा।

6– प्रशिक्षण के सम्बन्ध में होने वाले समस्त व्यय के भुगतान की कार्यवाही तैनाती के विभाग द्वारा की जायेगी। प्रशिक्षण के संबंध में अधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी अग्रिम का आहरण प्रशासकीय विभाग सम्बन्धित वित्त (लेखा) विभाग की अनुमति से करेंगे। (उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ में तैनात अधिकारियों के भुगतान की कार्यवाही सम्बन्धित शाखा अधिष्ठान/लेखा द्वारा की जायेगी।)

7– नामित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह कृपया उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेना सुनिश्चित करें और प्रशिक्षण में भाग लेने की पुष्टि भी नियुक्ति विभाग को समय पर उपलब्ध करा दें।

8– उपरोक्त नामित अधिकारियों के नियंत्रक अधिकारियों से अनुरोध है कि वे प्रशिक्षण हेतु

नामित अपने से सम्बन्धित अधिकारी को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु वांछित डिमांड ड्राफ्ट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करते हुए ससमय अवमुक्त करने की व्यवस्था करें, ताकि वह लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में नियत समय पर अपनी उपस्थिति दे सकें।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

/

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

संख्या–755(1)/दो–8–2016–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, (लेखा–2), जी0टी0–6 अनुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– संयुक्त सचिव, कार्मिक, लोक मंत्रालय एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली /लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी।
3– सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन/सम्बन्धित शाखा अधिष्ठान/लेखा अनुभाग, उ0प्र0 शासन/मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ/ समाज कल्याण आयुक्त/सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
4– प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री/प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
5– सम्बन्धित अधिकारीगण।
6– नियुक्ति अनुभाग–1/5/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5/वित्त (सामान्य)अनु0–1
7– इरला चेक अनुभाग/इरला वे0प0प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव